शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री अजेश यादव

दिनांक : 23.08.2019

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 123

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	बादली विधान सभा में क्षेत्र औद्योगिक कारखानों की एमसीडी के द्वारा की जा रही सीलिंग के क्या मापदंड हैं;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उ.दि.न.नि. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर (एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य 4677/1985) के अनुपालन में रिहायशी क्षेत्र में चल रही अनअनुमेय औद्योगिक इकाइयों की डी.एस.आई.आई.डी.सी. के नेतृत्व में सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है जिसमें बादली विधान सभा भी आता है।
ख	इस क्षेत्र में वर्ष 2019 में कितने औद्योगिक कारखानों की सीलिंग की गई है, पूर्ण विवरण उपलब्ध करें;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीलिंग का निर्देश चरणबद्ध तरीके से करने का आदेश दिया है जोकि तीन चरणों में है। क्षेत्रीय कार्यालय सिविल लाईंस से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.08.2019 के अनुसार बादली विधान सभा में वर्ष 2019 में एक भी इकाई सील नहीं की गई है।
ग	इस क्षेत्र में भविष्य में कितने औद्योगिक कारखानों की सीलिंग की जानी बाकी है, उन सभी की लिस्ट उपलब्ध करवाई जाए; और	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** अनअनुमेय औद्योगिक इकाईयों जो रिहायशी क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से चल रही हैं, के सर्वे का कार्य चल रहा है।
घ	इस सीलिंग से लगभग कितने लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा?	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** ऐसी कोई जानकारी इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02